

अध्याय 17

मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं



मुद्रा को मनुष्य जाति द्वारा किए गए महान् आविष्कारों में से एक माना जाता है। आग तथा पहिए के आविष्कार की भाँति मुद्रा के आविष्कार ने भी मनुष्य जाति के विकास में विस्मयकारी योगदान दिया है। आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम जो कुछ भी भुगतान करते हैं, उसे 'मुद्रा' कहा जा सकता है। मुद्रा सामान्य रूप से उपयोग लिया जाने वाला विनिमय का साधन है। भुगतान के साधन या विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक विशिष्ट गुण है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला यह विश्वास कि इसे अर्थव्यवस्था में अन्य सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा, मुद्रा को मुद्रा बनाता है। अतः मुद्रा वह कोई भी वस्तु है, जिसे वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त है।

विनिमय— वस्तु या सेवा का मुद्रा या अन्य किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले आदान—प्रदान, विनिमय कहलाता है।

हम सभी बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुएं क्रय करते हैं। आपने भी बाजार से वस्तुएं क्रय की होंगी। 10 रु. का पैन या बिस्किट क्रय किया तो, दुकानदार ने बिना किसी विरोध के 10 रु. स्वीकार कर लिए। इसी प्रकार हम या हमारे परिवारजन जब भी बाजार से सामान क्रय करते हैं, तो उस सामान का जो भी मूल्य होता है, उसके उतने रुपये चुका देते हैं और दुकानदार उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भारतीय रूपया ही मुद्रा है।

विचार करें :

क्या अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में वस्तुओं के क्रय के बदले भारतीय रुपये में भुगतान किया जा सकता है?

वहां बाजार में भुगतान किस माध्यम से होते हैं अर्थात् अमेरिका तथा इंग्लैण्ड की मुद्रा क्या है?

मुद्रा के अनेक रूप हैं, जो भुगतान के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं लेकिन आम आदमी के लिए मुद्रा का सामान्य अर्थ केवल करेंसी (बैंक नोट) और सिक्कों से है। इसका यह कारण है कि भारत में भुगतान प्रणाली मुख्यतः करेंसी तथा सिक्कों के इर्द—गिर्द ही घूमती है। भारतीय मुद्रा को "भारतीय राष्ट्रीय रूपया" (Indian National Rupee) कहा जाता है। एक रुपया 100 पैसे

के तुल्य होता है। भारतीय रुपये का प्रतीक ₹ है। यह डिज़ाइन देवनागरी अक्षर र और लेटिन के बड़े अक्षर R के जैसा है, जिसमें ऊपर दोहरी आँखी रेखाएं हैं। यह प्रतीक ₹० उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा यू०८० डॉलर का प्रतीक \$ है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिंग का प्रतीक £ है। यूरोपीय समूह की मुद्रा यूरों का प्रतीक € है तथा जापान की मुद्रा जापानी येन का प्रतीक ¥ है।

17.1 मुद्रा की उत्पत्ति तथा विकास

17.1.1 मुद्रा की उत्पत्ति

अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी (Money) कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा (Moneta) से हुई। रोम में पहली टकसाल देवी मोनेटा के मन्दिर में स्थापित की गयी थी। इस टकसाल से उत्पादित सिक्कों का नाम देवी मोनेटा के नाम पर मनी पड़ गया था और धीरे-धीरे मुद्रा के लिए सामान्य रूप से मनी शब्द का उपयोग किया जाने लगा।

ऐसा माना जाता है कि चीन के साथ—साथ भारत भी विश्व के प्रथम सिक्के जारी करने वाले देशों में से एक है। भारतीय सिक्कों का इतिहास ईसा पूर्व से प्रारम्भ हो जाता है। उत्खनन में मिले मौर्यकाल के चांदी के सिक्के इस बात को सत्य सिद्ध करते हैं कि भारत में ईसा से पूर्व ही सिक्कों का प्रयोग आरम्भ हो गया था। भारत में पहला 'रूपया' शेरशाह सूरी द्वारा (1540—45 ई.) जारी किया गया था।

वर्तमान में भारत में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्यवर्गों के सिक्के जारी किये जा रहे हैं। साथ ही भारत के केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10रु, 20रु, 50रु, 100रु, 500रु तथा 2000रु मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी किये जा रहे हैं। ₹ 1, ₹ 2 तथा ₹ 5 के बैंक नोटों का उत्पादन वर्तमान में बन्द कर दिया गया है, लेकिन यह चलन में बने हुये हैं। 8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रचलित 500रु तथा 1000रु के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी है।



प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करके उसे प्रचलन से हटाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है।

वित्तीय शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 'प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता' प्रारम्भ किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न लक्षित वर्गों को केन्द्रीय बैंक तथा सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के सम्बंध में सूचनाएँ प्रदान करना है। यदि हम वित्तीय तंत्र के सम्बन्ध में व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इंटरनेट पर <https://rbi.org.in/financialeducation/home.aspx> वेबसाइट देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु यह बहुत प्रभावी एवं आर्कषक कदम है। भारतीय वित्तीय तंत्र से सम्बंधित अनेक रुचिकर फ़िल्में, खेल तथा कॉमिक्स इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यहां उपलब्ध होने वाली सूचनाओं तथा ज्ञान की विश्वसनीयता भी अद्वितीय है।

17.1.2 मुद्रा का विकास

मुद्रा के जन्म एवं विकास के सम्बंध में कुछ अध्येता यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने मुद्रा का आविष्कार नहीं किया है। मुद्रा का आविष्कार एक संयोग मात्र है। पहले वस्तु विनियम पद्धति प्रारम्भ हुई और फिर मुद्रा का विकास हुआ। दूसरी तरफ अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि वस्तु-विनियम की कठिनाईयों के कारण मनुष्य जाति ने विनियम को सुगम बनाने हेतु मुद्रा का विकास किया। मुद्रा का जन्म कैसे भी हुआ हो, सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा के वर्तमान स्वरूप तक पहुँचने का प्रथम चरण निश्चित ही वस्तु-विनियम पद्धति थी।

(क) वस्तु-विनियम प्रणाली—

इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनियम प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता है। विनियम के माध्यम के रूप में वस्तु-विनियम प्रणाली अब लगभग इतिहास हो चुकी है। वस्तु-विनियम में आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाईयाँ पायी जाती थीं। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो तथा दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय करने के लिए वह वस्तु हो, जिसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को है। वस्तु-विनियम प्रणाली में विनियम हेतु आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों की इस दुर्लभ स्थिति की अनिवार्यता थी।

वस्तु-विनियम प्रणाली में मूल्य के एक मानक मापक का भी अभाव था। इस प्रणाली में धन या मूल्य के संचय तथा मूल्य के हस्तान्तरण में भी भारी असुविधा का सामना करना होता। वस्तुओं के रूप में धन या मूल्य का हस्तान्तरण बहुत जोखिम भरा होता था। वस्तु विनियम में एक महत्वपूर्ण समस्या अविभाज्य वस्तुओं के

सम्बंध में उत्पन्न होती थी। यदि किसी व्यक्ति के पास घोड़ा होता तथा उसे एक भेड़ खरीदनी होती तो वह ना तो सम्पूर्ण घोड़ा दे सकता और ना ही उस घोड़े को विभाजित कर उसका भेड़ के साथ विनियम कर पाता। इन वस्तुओं का विभाजन करने पर इनका सम्पूर्ण महत्व ही समाप्त हो जाता। वस्तु विनियम प्रणाली की इन सीमाओं के कारण इसे त्याग दिया गया तथा मौद्रिक विनियम प्रणाली को अपना लिया गया।

(ख) धातु-मुद्रा—

वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया। प्रारम्भ में धातु से बनी वस्तुओं तथा धातुओं के टुकड़ों ने मुद्रा का कार्य किया। इसके पश्चात् इन पर मोहर लगायी जाने लगी तथा मूल्य लिखा जाने लगा। यह माना जाता है कि धातु के सिक्कों का उपयोग चीन, भारत तथा मिस्र में प्रारम्भ हुआ था। धातु मुद्रा का हस्तान्तरण सुविधाजनक नहीं था। इनके उत्पादन में अधिक खर्चा आता था और मुद्रा की बढ़ती आवश्यकता को धातु मुद्रा से पूरा किया जाना सम्भव नहीं था।

(ग) पत्र-मुद्रा—

धातु मुद्रा की सीमाओं के कारण पत्र-मुद्रा का विकास हुआ। पत्र-मुद्रा उन सभी दोषों से मुक्त है, जो धातु-मुद्रा में थे। पत्र-मुद्रा के उत्पादन में बहुत कम खर्चा आता है और इसका हस्तान्तरण भी बहुत सुविधाजनक है। बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए पत्र-मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है। मुद्रा के विकास के क्रम में वर्तमान में तो पत्र मुद्रा से आगे बढ़कर साख मुद्रा तथा निकट मुद्रा भी मुद्रा की भूमिका अदा करने लगी है। जिनका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे।

17.2 मुद्रा के कार्य तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका

मुद्रा के कार्यों को अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य तौर पर मुद्रा विनियम के माध्यम, मूल्य का मापक, विलम्बित भुगतानों के एक मानक तथा मूल्य के भण्डार का कार्य करती है। साथ ही यह अनेक अन्य गतिशील कार्यों को पूरा करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

मुद्रा के विभिन्न कार्य

(क) विनियम का माध्यम—

एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आधारभूत भूमिका विनियम के एक माध्यम या भुगतान के एक साधन के रूप में काम करने की होती है। मुद्रा का यह कार्य वस्तु-विनियम प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों की समस्या को समाप्त कर देता है। यह मुद्रा विनियम के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यही वह विशिष्ट गुण



है जो मुद्रा को अन्य संपदाओं से पृथक करता है। मुद्रा का माध्यम के रूप में उपयोग विनिमय क्रिया को सुविधाजनक बना देता है।

(ख) खाते की इकाई या मूल्य का मापक—

इसका तात्पर्य है कि मुद्रा मूल्य के सामान्य मापक का कार्य करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न पैमानों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को एक समान इकाई मुद्रा में व्यक्त करके एक उचित लेखा तंत्र बनाया जा सकता है यद्यपि मूल्य के एक मापक के रूप में मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका स्वयं का मूल्य परिवर्तित होता रहता है।

(ग) विलम्बित भुगतानों की मानक—

मुद्रा वह इकाई है, जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान सरलता से निपटाये जा सकते हैं। जो भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिये टाल दिए जाते हैं, वे स्थगित भुगतान कहलाते हैं। चूंकि ऋण भी एक प्रकार का स्थगित भुगतान है। अतः ऋणों को भी मुद्रा के रूप में चुकाया जाना सर्वाधिक सरल है। मुद्रा का मूल्य अन्य सम्पदाओं की तुलना में अधिक स्थिर रहता है तथा इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है अतः मुद्रा को स्थगित भुगतानों का श्रेष्ठ मानक माना जाता है।

(घ) मूल्य का भंडार—

इसका तात्पर्य है कि लोग अपनी धन तथा सम्पदा को मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा मूल्य का एक मात्र भण्डार नहीं है। अन्य वस्तुयें तथा सम्पदायें भी मूल्य के भण्डार का कार्य करती हैं तथा इस संदर्भ में मुद्रा से प्रतियोगिता करती हैं। मूल्य के भण्डार के रूप में मुद्रा विशिष्ट है क्योंकि यह सर्वाधिक तरल परिसम्पत्ति है।

इस प्रकार मुद्रा वह वस्तु है, जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य के संचय तथा स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में प्रयोग की जाती है। वाकर तथा हार्टले विदर्स के अनुसार—“मुद्रा वह है, जो मुद्रा का कार्य करे”। क्राउथर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है, जिसे साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता हो और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करती हो।

(ड) मुद्रा के अन्य कार्य तथा अर्थव्यवस्था में भूमिका—

मुद्रा की सहायता से मूल्य का हस्तान्तरण सुविधाजनक हो जाता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में साख का आधार प्रदान करती है। लोग अपनी आय का एक हिस्सा बैंकों में मुद्रा के रूप में जमा

करवाते हैं। इस जमा धन से ही बैंक साख का सृजन करते हैं। मुद्रा ने पूँजी को गतिशीलता प्रदान करके भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुद्रा के कारण ही पूँजी को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हुआ है।

मुद्रा की सहायता से ही बचतों को निवेशों में परिवर्तित किया जाना संभव हुआ। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता तथा निवेशक दो अलग-अलग वर्ग हैं। बचतकर्ता अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। ये संस्थाएं व्यवसायियों को निवेश हेतु यह मुद्रा उधार दे देती हैं। फर्म या व्यवसायी मुद्रा को किसी उत्पादकीय निवेश में लगा देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होती है।

निवेश—निवेश का तात्पर्य उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक सम्पदा के स्टॉक में वृद्धि करता है।

मुद्रा के द्वारा ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। चूंकि मुद्रा आसानी से विभाज्य है अतः उपभोक्ता अपनी मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय कर सकता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मुद्रा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है।

मुद्रा उत्पादन के क्षेत्र में भी महती भूमिका अदा करती है। मुद्रा के द्वारा श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाने से बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव हो पाया है। विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब एक आर्थिक संसाधन एक विशिष्ट वस्तु या सेवा को उत्पादित करता है। जब उत्पादक कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई श्रम वस्तु या सेवा के उत्पादन में एक विशिष्ट कार्य करता है तो इसे श्रम-विभाजन कहा जाता है। श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण से उत्पादकीय कुशलता में वृद्धि होती है तथा उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। मुद्रा के अभाव में समस्या यह थी कि जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका उत्पादन में संलग्न सभी इकाइयों में वितरण कैसे हो? मुद्रा के माध्यम से उत्पादन में संलग्न विभिन्न उत्पादक इकाइयों में उत्पादन का वितरण सम्भव है। प्राप्त कुल उत्पादन या वस्तु को विभाजित किया जाना सदैव सम्भव नहीं है लेकिन उसके मूल्य का मुद्रा के माध्यम से सभी उत्पादक इकाइयों में उचित आर्थिक नियमों का पालन करते हुए वितरण किया जा सकता है। मुद्रा के कारण ही राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेज वृद्धि सम्भव हुई है। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है तथा इतनी अधिक मात्रा में व्यापार सम्भव नहीं होता।

वर्तमान समय में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को अत्यधिक बल मिला है। राज्य या सरकार द्वारा अपनी जनता के कल्याण हेतु अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं पर सरकार को अत्यधिक व्यय करना होता है। इस व्यय की पूर्ति सरकार कर एवं सार्वजनिक ऋणों से करती है, जो मुद्रा के रूप में ही प्राप्त किये जा सकते हैं। वर्तमान में मानव का विकास जिस स्तर पर पहुँचा है, वह मुद्रा के आविष्कार से ही सम्भव हुआ है। सम्भवतः मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मुद्रा की कोई भूमिका नहीं हो। मुद्रा एक साधन है, वह साध्य नहीं है।

17.3 बचत तथा साख

वित्तीय संस्थाओं के सम्बद्ध में गहनता से जानने के लिए यह आवश्यक है कि बचत एवं साख की अवधारणाओं को समझा जाये। बचत और साख की अवधारणाओं को समझने के लिए हमें निम्नांकित तीन स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है—

स्थिति-1 पंकज राजस्थान के सीकर जिले के कटराथल गांव में अपने माता-पिता, दो भाई एवं एक बहिन के साथ रहता है। वह एक शिक्षित एवं ऊर्जावान युवक है। उसने एक अच्छे संस्थान से व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की है तथा वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। उसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प हैं तथा उसे बाजार की अच्छी समझ है। वह व्यवसाय के तरीकों को भी भली प्रकार जानता है। फिर भी पूँजी के अभाव में वह स्वयं का व्यवसाय स्थापित नहीं कर पा रहा है। उसके पिता एक सामान्य कृषक हैं जो परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। इस स्थिति में व्यवसाय स्थापित करने हेतु पंकज के पास एकमात्र विकल्प है कि वह आवश्यक पूँजी उधार प्राप्त करे।

स्थिति-2 संजय झुन्झुनू जिले के राजपुरा गांव में रहता है। उसके माता-पिता वृद्ध हैं तथा सामान्यतया बीमार रहते हैं। तीन भाई-बहनों में वह सबसे बड़ा तथा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके पास 2 हेक्टेयर का छोटा-सा खेत है। वह इसी खेत में कृषि-कार्य करके प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व उसी का है। कृषि-कार्य से प्राप्त होने वाली आय उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु आवश्यक है कि संजय किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक धन उधार प्राप्त करे।

स्थिति-3 नितेश तथा उसकी पत्नी चाँदनी जयपुर में रहते हैं। नितेश एक बैंक कर्मी है तथा उसकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है। दोनों मितव्ययी भी हैं तथा उन्हें विरासत में भी अच्छा आर्थिक आधार मिला है। दोनों अपनी आय के छोटे-से हिस्से से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं। अतः इनके पास

आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में रह जाता है।

यहाँ स्थिति 1 में पंकज को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु तथा स्थिति 2 में संजय को उपभोग हेतु उधार प्राप्त करने अर्थात् ऋण लेने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को ही साख प्रदान करना कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में साख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को भी बताता है जिसके आधार पर व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के बायदे के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं या बगैर नगद भुगतान किये वस्तुयें तथा सेवायें प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में साख शब्द का उपयोग ऋण के वित्तीयन (ऋण के लिए वित्त उपलब्ध करवाने) हेतु लिया जाता है। जिस प्रकार विनिमय में एक पक्ष वस्तु क्रय करता है, तो दूसरा पक्ष विक्रय करता है। क्रय तथा विक्रय एक ही सौदे के दो पक्ष हैं। इसी प्रकार वित्त या कोषों के लेने-देने में एक पक्ष उधार या ऋण प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष साख (उधार या ऋण) प्रदान करता है। इस प्रकार वित्तीय लेन-देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्त होगी, उतनी ही राशि प्रदत साख की होगी।

स्थिति 3 पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि नितेश तथा चाँदनी के पास आय का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है। आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया, बचत कहलाता है। अतः उपभोग पर आय का आधिक्य ही बचत है।

यहाँ अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पंकज को व्यवसाय स्थापित करने हेतु पूँजी कहाँ से उपलब्ध होगी? संजय को अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण कहाँ से प्राप्त होगा? नितेश तथा चाँदनी अपनी बचतों को कहाँ सुरक्षित रखेंगे? क्या नितेश तथा चाँदनी अपनी बचतों को सीधे ही पंकज तथा संजय को उधार दे सकते हैं? नितेश तथा चाँदनी द्वारा पंकज तथा संजय को सीधे ही उधार दिया तो जा सकता है लेकिन इसमें अनेक व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होने की भी प्रबल सम्भावना है। प्रथम यदि नितेश तथा चाँदनी यह नहीं जानते कि पंकज तथा संजय का आर्थिक व्यवहार कैसा है, तो उन्हें ऋण देने पर सदैव अपनी गाढ़ी कमाई के डूबने का भय बना रहेगा। द्वितीय, यदि किसी कारण से उन्हें पैसे की अचानक आवश्यकता होती है तो पंकज तथा संजय अल्पसूचना पर पैसे लौटाने में समर्थ हों या नहीं हों। तृतीय, यह भी सम्भव है कि नितेश तथा चाँदनी का पंकज तथा संजय से कोई परिचय ही नहीं हो। वास्तविक रूप में ऋण देने वाला तथा अन्तिम रूप से ऋण लेने वाला दो अलग-अलग पक्ष होते हैं और इनके बीच एक सेतु की आवश्यकता होती है, जो इन दोनों पक्षों को जोड़ सके। यह भूमिका वित्तीय मध्यस्थ अदा करते हैं।

वित्तीय मध्यस्थ—

वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान तथा फर्म हैं जो वित्तीय

बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु या मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं अर्थात् बचत करते हैं तथा उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साख उपलब्ध करवा देते हैं, जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता है। जब बचतकर्ता अपनी बचतों को इनके पास जमा करवाते हैं, तो उन्हें उचित ब्याज प्राप्त होता है तथा धन डूबने का जोखिम बहुत कम होता है। जमाकर्ताओं के पास यह भी सुविधा होती है कि उन्हें जब जरूरत हो, वे अपनी जमाओं को तुरन्त या अल्पसूचना पर वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार उधार लेने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भी वित्तीय मध्यस्थों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के पास सदैव धन की उपलब्धता बनी रहती है। ये उचित ब्याज दर तथा स्वीकार्य आसान शर्तों पर साख प्रदान करते हैं। बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है।

17.4 साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत

अर्थव्यवस्था में अनेक लोग ऐसे होते हैं, जिनके व्यय उनकी आय से अधिक होते हैं। इस आधिक्य व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अनेक लोग जो कि उत्पादन-क्रिया या व्यवसाय में संलग्न हैं, उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, जिसे वे ऋण लेकर पूरा करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग विभिन्न वित्तीय स्रोतों से साख प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं, जिनके व्यय उनकी आय से कम है। यह अपनी बचतों पर ब्याज कमाना चाहते हैं। अतः ये अपनी बचतों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। वित्तीय संस्था वह संस्था होती है, जो वित्तीय लेन-देन के कार्य (जैसे—जमा, ऋण, निवेश आदि) सम्पन्न करती है। जैसे बैंक, सहकारी समिति, साहूकार, देशी बैंकर आदि। इन वित्तीय संस्थाओं को संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है।

संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती हैं। इनका नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा किया जाता है। ये अपनी सभी क्रियाओं के सम्बन्ध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा केवल लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाता है। इन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को भी वहन करना होता है। ये संस्थाएं गरीब एवं कमज़ोर वर्ग को भी साख प्रदान करती हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वित्तीय



समावेशन के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

वित्तीय समावेशन—

समाज के गरीब, कमज़ोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवायें प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है।

17.5 वाणिज्यिक बैंक—

हमने देखा कि नितेश तथा चौंदनी अपनी आय से कम खर्च करते हैं। अपनी इन बचतों को वह इस प्रकार प्रबंधित करना चाहेंगे कि उन्हें धन डूबने का भय भी नहीं हो तथा जमा पूँजी पर उचित ब्याज भी प्राप्त हो। जो लोग थोड़ा—थोड़ा करके बचत करते हैं, वे चाहते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो, जो उनकी बचतों को सुरक्षित रख सके तथा उन्हें आवश्यकता होने पर वह अपनी बचतों को आसानी से वापस प्राप्त कर सके। बैंक इस कार्य को सम्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ हैं। बचत करने वालों से रुपये जमा लेकर बैंक यह रुपये उन लोगों को उधार दे देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता है। बैंक पूँजी का उपयोग करने वालों तथा बचत करने वालों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा यह भी प्रदान करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता बैंक खातों में जमा धन को निकाल सकता है, इसलिए इस जमा को माँग जमा कहा जाता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण (विनिमय का माध्यम) प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चैक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चैक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चैक काटता है। चैक एक ऐसा आदेश-पत्र है, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चैक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है।

अग्रांकित चैक टैगोर शिक्षण संस्थान ने राजेन्द्र प्रसाद को 500 रु. का भुगतान करने के लिए जारी किया है। इस पर दो समानान्तर तिरछी रेखाएं अंकित की गयी हैं। यह रेखांकित चैक इस बात का सूचक है कि यह प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि रेखांकित चैक में सात पूर्तियां की जाती हैं—

- (1) दो समानान्तर तिरछी रेखाएं
- (2) जारी करने का दिनांक
- (3) भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
- (4) भुगतान की राशि अंकों में
- (5) भुगतान की राशि शब्दों में
- (6) चैक जारी करने वाले की खाता संख्या
- (7) चैक जारी करने वाले के हस्ताक्षर



1532845 32020002000103 29

प्रचलन में गैर रेखांकित चैक भी लिखे जाते हैं। इनसे भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। यह चैक लिखना जोखिमपूर्ण होता है।

इस तरह हम देखते हैं कि माँग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। माँग जमा के बदले बैंक लिखने की सुविधा से बिना नकद का उपयोग किये सीधा भुगतान करना सम्भव हो जाता है। एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, उसका क्या करते हैं? बैंक जमा रकम का एक छोटा—सा हिस्सा अपने पास नकद रूप में रखते हैं। इस हिस्से का प्रावधान एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की सम्भावना के आधार पर किया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं इसलिए बैंक का काम इतने नकद से हो जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए उपयोग में लेते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्थान है, जो जनता से माँगे जाने पर पुनर्भुगतान योग्य या चैक द्वारा निकलवाने योग्य जमाएं स्वीकार करता है तथा ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। चैक द्वारा निकलवाने योग्य जमाओं को स्वीकार करना बैंक का एक पृथक तथा विशेष कार्य है। एक वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्थान है जो जमाएं स्वीकार करना, व्यावसायिक ऋण प्रदान करना आदि सेवायें प्रदान करता है।

17.5.1 वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका—

वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विकास एवं सुदृढ़ता में वाणिज्यिक बैंकों का महत्त्व अकथनीय है। आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं में देखा जा सकता है—

(1) आर्थिक विकास हेतु ऊंची बचत दर आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक जनता की बचतों को सुरक्षित रखकर उन्हें ब्याज भी प्रदान है।

करते हैं। बैंक का यह कार्य समाज में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।

(2) जनता से जो बचतें जमा होती हैं, उन्हें गतिमान करके बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादकों तथा निवेशकों तक पहुँचाते हैं। यदि बैंक नहीं होते तो बचतें सदैव बचतकर्ता के पास ही पड़ी रहतीं तथा कभी भी उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं आतीं।

(3) बैंक संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करते हैं। प्राप्त बचतों को बैंक उन क्षेत्रों को उधार देते हैं, जहाँ लाभ की दर अर्थात् प्रतिफल की दर अधिकतम हो। साथ ही बैंक उन क्षेत्रों में भी संसाधन आवंटन करते हैं जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से वांछनीय हो।

17.5.2 वाणिज्यिक बैंक के कार्य

(क) जमायें स्वीकार करना

बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रथम कार्य जमायें स्वीकार करना है। बैंक व्यक्तियों, फर्मों एवं अन्य संस्थाओं से जमायें प्राप्त करते हैं। व्यापक रूप से ये जमायें तीन प्रकार की होती हैं।

- (अ) चालू खाते की जमायें,
- (ब) बचत खाते की जमायें तथा
- (स) स्थायी जमायें।

व्यावसायियों द्वारा चालू खाते में धन जमा करवाया जाता है। वे इसमें बार—बार लेनदेन कर सकते हैं। बैंक इन चालू जमाओं पर बहुत कम या शून्य ब्याज देते हैं। सामान्य जनता द्वारा अपनी धन राशि बचत खाते में बचत जमा के रूप में रखी जाती है। बचत खाते की जमाओं में से रुपये निकलवाने में तथा बचत खाते में किये जाने वाले लेन—देन पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। इन जमाओं पर बैंक उचित ब्याज भी प्रदान करता है। चालू तथा बचत खाते की जमाओं

को संयुक्त रूप से माँग जमायें कहा जाता है। बैंक सर्वाधिक व्याज स्थायी जमाओं पर प्रदान करते हैं। ये लम्बी अवधि हेतु होती है, अतः इन्हें अवधि या समय जमायें भी कहा जाता है।

(ख) ऋण प्रदान करना—

वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण नकद साख, अधिविकर्ष आदि अनेक रूपों में प्रदान किया जाता है।

अधिविकर्ष — खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करना।

बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों से दिये गये ऋणों पर व्याज की दर भी अलग—अलग होती है। बैंक जमा पर जो व्याज देते हैं, उससे अधिक व्याज दिये गये ऋणों पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गये व्याज और जमाकर्ताओं को दिये गये व्याज के बीच का अन्तर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है।

(ग) अन्य कार्य —

जमायें स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को कई अन्य प्रकार की सेवायें भी प्रदान करते हैं। बैंक बिलों तथा चेकों का संग्रहण करते हैं। बीमा की किश्त आदि का नियमित भुगतान करते हैं। लॉकर की सुविधा प्रदान करके मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। बैंक अनेक सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें विभिन्न ऐजेन्सियों को उपलब्ध करवाते हैं। वे धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

बैंक संस्थागत स्रोत जमाओं पर उचित व्याज प्रदान करती है तथा इनके द्वारा प्रदत्त साख पर व्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ली जाने वाली व्याज की दर की तुलना में बहुत कम होती है। संस्थागत स्रोत अपने सभी लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखते हैं। इन संस्थाओं के कार्य दिवस तथा कार्य घण्टे निश्चित होते हैं। अतः यह सभी दिनों में सभी समय वित्तीय लेन—देन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। यद्यपि इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल तथा धीमी होती है, लेकिन ये कभी भी शोषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं। बैंक तथा सहकारी समितियां संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत वे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो वित्त के लेन—देन के सम्बन्ध में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती तथा इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं। ये संस्थाएं मौद्रिक प्राधिकरण के नियमन तथा नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसा कोई नियामक संगठन या केन्द्र नहीं होता जो इन गैर

संस्थागत वित्तीय स्रोतों की गतिविधियों को निर्देशित करता हो।

सामान्यतः गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋणियों से ली जाने वाली व्याज की दर बहुत ऊँची होती है। देशी बैंकर, साहूकार, भू—स्वामी, रिश्तेदार आदि को सामान्यतया गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है। ये संस्थाएं बहुत लोचशील होती हैं। इनकी गतिविधियाँ समय बाधित नहीं होती। इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत सरल तथा सीधी होती है। इनके द्वारा बहुत कम कागजी कार्यवाही की जाती है। इन संस्थाओं द्वारा अपने लेन—देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है। इन पर लेनदेन के रिकॉर्ड में हेरा—फेरी के गम्भीर आरोप भी लगते रहते हैं।

गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत अधिकांशंतः स्थानीय होते हैं और यह क्षेत्र की संस्कृति, प्रथाओं, रीति—रिवाजों से सुपरिचित होते हैं। अतः ये साख प्रदान करने एवं दिये गए उधार की वसूली में बहुत लोचपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये संस्थान ऋणी की क्रियाओं, आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक व्यवहार, भुगतान करने की क्षमता आदि से सुपरिचित होते हैं। अतः इनके द्वारा प्रदत्त साख की अधिकांशंतः वसूली हो जाती है। साथ ही अपनी मुद्रा को वसूल करने के लिए ये अनेक बार अनुचित साधनों का भी उपयोग भी करते हैं।

17.6 देशी बैंकर

इनके द्वारा भी भारत में बैंकिंग व्यवसाय सम्पन्न किया जाता रहा है। यह निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह कार्य करते हैं। भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास से पूर्व बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इन्हीं के द्वारा सम्पन्न किया जाता था। ये भारत में गैर संस्थागत साख का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। देशी बैंकर द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले प्रमुख कार्य —

- (1) जनता से जमायें स्वीकार करना।
- (2) अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियाँ गिरवी रखकर उन्हें ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक की साख के आधार पर सम्पत्ति को गिरवी रखे बिना भी ऋण प्रदान करना।
- (3) एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों को स्थानान्तरित करना।
- (4) बैंकिंग कार्य के साथ—साथ अपना व्यवसाय भी चलाना।
- (5) छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्यमियों के साथ लेनदेन करना।
- (6) ऋणी को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना।
- (7) ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र एवं सलाहकार भी बनना।

17.7 साहूकार

साख के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार की भी उल्लेखनीय भूमिका होती है। साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूँजी को उधार देते हैं। यह जनता से जमायें स्वीकार नहीं करते। यह सामान्यतः छोटे वैयक्तिक ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों से ऊँची ब्याज दर ली जाती है। जिन लोगों की बैंकिंग कियाओं तक पहुँच नहीं होती वे सामान्यतः साहूकारों से ही ऋण प्राप्त करते हैं। आमतौर पर साहूकार भी सम्पत्ति को गिरवी रखकर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं परन्तु ग्राहक की साख के आधार पर किसी सम्पत्ति को गिरवी रखें बिना भी उधार दे देते हैं।

ऋणियों से ऊँची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक भी माना जाता है। आजकल वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप देशी बैंकर तथा साहूकारों का महत्त्व लगातार घट रहा है। साहूकारों तथा देशी बैंकर के अलावा भूस्वामी, मित्र एवं रिश्तेदार भी गैर संस्थागत साख के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

17.8 स्वयं सहायता समूह

निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंक नहीं हैं। बैंक से कर्ज लेना भी गैर संस्थागत स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर, गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे साहूकार, इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी, नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन साहूकार ब्याज की दर बहुत ऊँची रखते हैं, लेन-देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नये तरीके अपनाने की कोशिश की है। इन में से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं, को छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूँजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक स्वयं सहायता समूह में 15–20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए

जाने वाले ब्याज से कम होता है। एक या दो वर्षों के बाद, अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूँजी की जरूरतें पूरी करने (बीज, खाद, बाँस और कपड़े खरीदने के लिए), घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाते हैं।

बचत और ऋण गतिविधियों से सम्बन्धी ज्यादातर महत्त्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गमीरता से लेते हैं। इस प्रकार जब निर्धन महिलाएं अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं तो बैंक इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता।

इस तरह, स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहाँ वह विभिन्न के सामाजिक विषयों जैसे, स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं।

17.9 चिटफण्ड

भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिटफण्ड कम्पनियों की विशिष्ट भूमिका है। वह कम्पनी जो चिट योजना का प्रबन्ध, संचालन तथा निर्देशन करती है, चिटफण्ड कम्पनी कहलाती है। चिटफण्ड भारत में चलने वाली विशेष बचत एवं ऋण योजना है। यह पारस्परिक लाभ की एक योजना है। इसके अन्तर्गत योजना के सभी सदस्य एक अनुबन्ध का हिस्सा होते हैं जिसमें अपना निर्धारित अंश जमा करवाते हैं। इसमें कुल जमा राशि निविदा निकाल कर या नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान कर दी जाती है। निविदा या नीलामी में सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा जो सदस्य सबसे ज्यादा बट्टा कटवाकर राशि लेने को तैयार हो उसे पुरस्कृत क्रेता घोषित किया जाता है। यदि कोई भी सदस्य राशि लेने के

लिए निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता है तो एक न्यूनतम राशि बट्टा काटकर लॉटरी से चिट निकालकर विजेता का नाम तय कर लिया जाता है। प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार की राशि मिलती है। जो सदस्य योजना में एक बार विजेता हो जाता है उसे निविदा या नीलामी में पुनः शामिल नहीं किया जाता है अर्थात् निविदा या नीलामी में योजना के गैर-पुरस्कृत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। बट्टे की राशि ही लाभांश होती है जिसे सभी सदस्यों में समान रूप से बाँट दिया जाता है। लाभांश की राशि को घटाकर अगली किश्त की राशि निर्धारित कर दी जाती है। चिटफण्ड कम्पनी योजना के संचालन, प्रबन्धन एवं निर्देशन के लिए योजना के सदस्यों से अनुबंध में निर्धारित कमीशन प्राप्त करती है। योजना में विजेता को भी चिटफण्ड योजना की निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह अपनी किश्त जमा करवानी होती है। चिटफण्ड योजनाएं संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त मित्रों एवं रिश्तेदारों आदि असंगठित समूहों द्वारा भी चलाई जाती है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. मुद्रा वह होती है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृत हो। भारत की मुद्रा 'रूपया' है।
2. मुद्रा मुख्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य के संग्रह तथा विलम्बित भुगतानों के आधार का कार्य करती है।
3. भारत का केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है।
4. मुद्रा के आविष्कार से पहले वस्तु-विनिमय प्रणाली चलन में थी। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता है।
5. आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया गया हो, बचत कहलाता है।
6. साख शब्द का तात्पर्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऋण या उधार प्रदान करने से है।
7. वित्तीय मध्यस्थ वे व्यक्ति, संस्थान तथा फर्म होते हैं जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ता तथा उधार लेने वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं।
8. संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित, नियंत्रित तथा निर्देशित होते हैं।
9. गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण तथा नियमन से बाहर होती है।
10. सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह एक नवीन प्रवृत्ति है।

11. वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अनेक तरीकों से वित्तीय सूचनाओं तथा ज्ञान का प्रसार कर रही है।

अभ्यास प्रश्न

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. मुद्रा किसे कहते हैं?
2. विनिमय का अर्थ बताइये।
3. चैक से क्या आशय है?
4. भारतीय मुद्रा का क्या नाम है?
5. भारत का केन्द्रीय बैंक कौनसा है?
6. बचत से आप क्या समझते हैं?
7. भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिह्न क्या है?
8. भारत सरकार द्वारा 2016 ई. में कौन-कौन से नोटों का विमुद्रीकरण किया गया है?
9. वित्तीय मध्यस्थ किसे कहते हैं?
10. ऋण की आवश्यकता किन कार्यों के लिए हो सकती है?
11. संस्थागत वित्तीय स्रोतों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं?
2. वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाईयाँ थीं?
3. मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा के कार्य को समझाइये।
4. साख किसे कहते हैं?
5. धातु मुद्रा की क्या सीमाएं होती हैं?
6. वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइये।
7. संस्थागत वित्तीय स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइये।
8. गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के गुण तथा दोष बताइये।
9. देशी बैंकर किसे कहते हैं? इनकी तीन प्रमुख विशेषताएं बताइये।
10. साख के स्रोत के रूप में साहूकार को समझाइये।

निबन्धात्मक प्रश्न –

1. मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए।
2. मुद्रा के प्रमुख कार्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए।
3. वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
4. अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए।
5. संस्थागत तथा गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत में अन्तर बताइये।
6. स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? यह किस प्रकार ऋण प्रदान करने के परम्परागत तरीकों से भिन्न हैं?
7. देशी बैंकर व्यवस्था पर एक लेख लिखिए।